राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] विधान सभा के सप्तम् सत्र का 13 वां दिवस [संख्या 3

शनिवार

9 अगस्त, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान-सभा, भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

घोषणा

श्री मनोहरलाल (कामां) द्वारा दल परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : दल परिवर्तन के बारे में घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मनोहरलाल (कामां) ने जनता मोर्चा से त्याग-पत्र दे दिया है और अब वे सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनाएं

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 9(21) अपाईन्ट्स (ए-II)/72 दिनांक 12 मार्च, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन किए गए हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 8 (7) डी.ओ.पी. (ए-11)/73, दिनांक 15 जुलाई, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 में संशोधन किए गए हैं।

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाईसवें एवं तेईसवें प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं :-

शासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

श्री खेतसिंह (मंत्री संसदीय कार्य विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ;—

(श्री खेतसिंह)

"कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975, तथा जिसके संक्षिप्त नाम को "संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975" में परिवर्तित कर दिया गया है, के द्वारा प्रस्थापित किये जाने वाले भारत के संविधान के उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दोनों सदनों लोक-सभा और राज्य-सभा द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है उसके अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 में पहले हमारे यहां पर यह तरीका था कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों के सम्बन्ध में कोई विवाद होता तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता और उनका निर्णय ही इस संबंध में अन्तिम माना जाता, लेकिन अब उसमें यह संशोधन किया गया है कि यह निर्णय उच्चतम न्यायालय की परिधि से निकाल कर बाहर कर दिया गया है। उसके लिए एक अधिकरण मुकर्रर किया जायेगा और उसी अधिकरण के द्वारा जो फैसला किया जायेगा वही फैसला अन्तिम फैसला होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रधान मंत्री और लोक-सभा के अध्यक्ष के पद के लिये भी उनके पद की गरिमा को देखते हुए संविधान में उचित संशोधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 329 में किया गया है और उसके अन्दर संशोधन करके नया अनुच्छेद 329 क का खण्ड बढ़ा दिया गया है। जिसके द्वारा यह तय किया गया है कि अगर उनके बारे में कोई विवाद हो तो वह भी उच्चतम न्यायालय की परिधि में नहीं रहेंगे और उसके लिये एक अधिकरण मुकर्रर किया जायेगा। और वह अधिकरण जो भी निर्णय देगा वही अन्तिम फैसला होगा। लोक-सभा और राज्य सभा द्वारा जो भी महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं संविधान में, उसकी सूचना माननीय सदस्यों को कल भेजी जा चुकी है इसमें खास तौर से तीन ही संशोधन किये गये हैं जिसमें आर्टिकल 71 में और आर्टिकल 329 के अन्दर भी मूलभूत संशोधन किये गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, संविधान का यह जो संशोधन किया गया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। हमारे यहा पर अब तक मौलिक रूप से चुनाव पद्धति के अनुसार जब भी चुनावों के बारे में कोई विवाद खड़ा हो जाता तो उसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता था। लेकिन अब उसमें संशोधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिये ऐसी व्यवस्था थी कि अगर उनके चुनावों के बारे में कोई विवाद खड़ा होता तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही होता था ऐसा संविधान में प्रावधान था। उनके विवाद के बारे में हाईकोर्ट निर्णय नहीं दे सकता था। और आज तक इसी प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता था। लेकिन इस विशिष्ट संशोधन के लिये जिसका कि प्रसंग यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार से प्रधान मंत्री की चुनाव-याचिका का निर्णय, जो कि सुप्रीम-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कोर्ट द्वारा 11 तारीख को होने वाला था वह नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मेरिट के ऊपर होने वाला था उसमें यह भी हो सकता था कि वह निर्णय प्रधान मंत्री के विरुद्ध जो आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माने थे वह गलत भी हो सकते थे और उसमें यह भी हो सकता था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें अमुक बात उचित थी और अमुक बात अनुचित थी। लेकिन यह तो स्थिति पहले ही बदल दी। हमारे यहां चुनाव कानून में पहले ही संशोधन कर दिया गया है। इसमें ऐसा संशोधन किया गया है कि अमुक-अमुक कारणों के ऊपर किसी भी व्यक्ति का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था। यह संशोधन पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में किया गया है और उस संशोधन को अध्यक्ष महोदय, आज से लागू किया हुआ नहीं माना जायेगा। उसको बहुत पहले से ही लागू किया हुआ माना जायेगा। जैसे कि यह कानून हमारे यहां पर बहुत पहले से ही लागू रहा हो। उस संशोधन से लगभग अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति तो बन चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रधान मंत्री के बारे में चुनाव-याचिका का जो फैसला होने वाला था वह निर्णय तो प्रधान मंत्री के पक्ष में ही होता। क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संशोधन कर दिया गया है। लेकिन यह जो संशोधन लाया गया है इस प्रकार का है कि अब न्यायालय भी उनके बारे में फैसला नहीं दे सकते। यह एक प्रकार से न्यायालय के ऊपर भयंकर अतिक्रमण है। यह संशोधन अध्यक्ष महोदय, न्यायोचित नहीं है, और इस संशोधन को जनतान्त्रिक भी नहीं कहा जा सकता। जिसकी तफसील नही की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह तो माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी समय में कितना भी महान् हो और उसकी वजह से देश को चाहे कितना ही लाभ हुआ हो, या लाभ हो सकता हो, और किसी व्यक्ति में बहुत सी खामियां हो सकती हैं जिसके कारण देश को बहुत ही नुकसान हुआ हो उसके लिये एक इन्स्ट्रक्शन होनी चाहिये, एक तरीका होता है लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के लिये सारे संविधान में फेर बदल कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज चाहे हम यहां इस बारे में कुछ नहीं कहें लेकिन हमारे यहां का आने वाला इतिहास यह बतायेगा कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा भी सन् आया था जिस समय एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये संविधान में फेर बदल किया गया। संविधान में बहुत भारी परिवर्तन किया गया है। उसके अनुसार प्रधान मन्त्री की चुनाव-यचिका के बारे में सुप्रीम-कोर्ट जो निर्णय देने वाला था वह अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया है। इस संशोधन का मुख्य अभिप्राय सिर्फ यही था। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया था फिर भी यह संशोधन लाया गया है ताकि कहीं कोई अपील प्रधान मन्त्री के बारे में नहीं की जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह एक संविधान में संशोधन किया गया है कि प्रधान मन्त्री के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं दे सके सिर्फ यही उद्देश्य है। संविधान के इस संशोधन करने से प्रधान मन्त्री के बारे में किसी प्रकार से विचार नहीं हो सके इसके लिये यह एमेन्डमेंट संविधान में लाया गया है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों में लाया जाता और यह कहा जाता कि प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और अध्यक्ष, लोक-सभा को कानून की परिधि से बाहर निकाला जा रहा है तो यदि प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के लिये भी कह दिया जाता और विधान-सभा के अध्यक्षों के लिये भी कह दिया जाता कि उनके लिये भी इस प्रकार की परिस्थतियां बनेंगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जिसे हम चाहें तो कर सकते हैं। लोक-सभा कम्पीटेन्ट है, इन-कम्पीटेन्ट नहीं है और लेजिसलेचर सुप्रीम है उसका अधिकार क्षेत्र है तो जनतान्त्रिक तरीके से ही माने, यह नहीं कह सकते हैं कि उसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है उसका वर्णन हमें अवश्य करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं संवैधानिक रूप में नहीं जाना चाहता हूं और जब यह परिवर्तन कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से एक भावना है कि सुप्रीम कोर्ट अब प्रधान मंत्री की चुनाव-याचिका पर कोई विचार न कर सके और 11 तारीख को यह कह सके कि अब यह अमेन्डमेंट आ चुका है इसलिये कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स नल एण्ड वाइड हो चुकी है। यह कहना भी तथ्यों से विमुख होना नहीं है, यदि हम प्रोटेस्ट न करें कि ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं था। जब प्रधान मन्त्री को इतना विश्वास है जनता की तो जब इस प्रकार की भावना है कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट का अमेन्डमेंट कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखना चाहिये था।

एक एनोमली और है जिसका ध्यान मैं माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह चुन लिया जाय और यदि किसी तरह चुनने का तरीका भ्रष्ट हो और उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परिधि से बाहर निकालना हो-चुनाव याचिका के लिये जबकि चुनाव याचिका पेन्डिंग हो और राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या स्पीकर चुन लिये जायें तो उसी समय उसकी परिधि से आउट हो जायं। यह भी एक ऐसी एनोमली है कि इसका डिस्क्रीशन होगा · · · · ·

(व्यवधान : अश्रव्य)

· · · ·किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव-याचिका से निकालने के लिये और इसके साथ-साथ में अध्यक्ष महोदय· · · ·

श्री दीपंकर : अच्छा सुझाव है· ·

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यह अधिकरण एक ट्रिब्यूनल के रूप में होगा या पार्लियामेंट के रूप में होगा अथवा सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रिब्यूनल होगा, इसे खुला छोड़ दिया गया है और समय-समय पर लोक-सभा व्यवस्था करेगी कि कौन सुनेगा ? इन सब मुद्दों पर मेरा यह निवेदन है कि यह जो विशिष्ट अमेन्डमेंट संविधान में किया जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है, सद्भावनापूर्ण नहीं है। कम्पीटेन्स में अवश्य है क्योंकि लेजिस्लेशन कम्पीटेन्स में है उसको मैं चेलेन्ज

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं करता हूं लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस संदर्भ में आज भारतीय विधान पर संशोधन लाया गया है उसके औचित्य के ऊपर शक और सन्देह है। आज जिस तरह का माहोल सारे देश में 45 दिन से बना हुआ है और जिस दिन से एमरजेन्सी लागू हुई है उसके बाद यह दूसरा स्टेप है जो पार्टी और एक नेता की डिक्टेटरशिप या एक नेता की तानाशाही की ओर बढ़ता कदम है। क्योंकि अन्ततोगत्वा ये सारी परिस्थितियां देश को किधर ले जायेंगी इससे सब वाकिफ हैं। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार सुप्रीम-कोर्ट का स्टे दिया जाना और उससे पहले हाई-कोर्ट की तरफ से फैसला होना, उसके पश्चात् 11 तारीख को फिर तारीख पड़ना और उसके पहले एक या दो दिन पहले लोक-सभा और राज्य-सभा में इस प्रकार का अमेन्डमेंट लाया जाना शक सूबे से खाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि येन-केन प्रकारेण प्रधान मन्त्री हमें बनाये रखना है इसमें कोई सन्देह नहीं है मैं उनकी योग्यता, कार्य-कुशलता पर कोई अटेक नहीं कर रहा हूं लेकिन जहां तक यह प्रोसीजर है इससे तानाशाही देश में बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन लाया जा रहा है यह निहायत अनुपयुक्त है और आज के संदर्भ में बिलकुल औचित्य पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 45 दिन के वातावरण में आज तक कई चीजें देखी और यह आज दूसरा अमेन्डमेंट दे दिया गया है। करेला नीम चढ़े हुये के समान है उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया है। मुझे दुःख है सदन के सामने वह परिस्थितियां नहीं रख सकते हैं क्योंकि न आज हमारा कथन अखबारों में जाता है और न कोई सुनवाई होती है, एमरजेन्सी के अन्दर बिलकुल साफ तौर से यह उसको अधिकार दे दिया गया है। जो पार्टी कांग्रेस से अलग है उनको किसी तरीके से कोई भी इलजाम लगाकर गिरफ्तार कर लो इस प्रकार का भयानक डर आज देश में बना हुआ है। इस प्रकार के आतंक में और डर में और अधिकार दे दिए जाना यह निरंकुशता और तानाशाही की ओर बढ़ते कदम हैं।

संसद को कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है लेकिन किस मौके पर सब कुछ किया गया है यह इस बात का द्योतक है कि हम किधर बढ़ रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, 45 दिन के जो हालात हैं उसको हम यहां बयान भी नहीं कर सकते हैं। मगर एक-एक चीज को मैं मुख्य मंत्री जी को लिख कर भेजूंगा। हो सकता हैं उनके दिमाग में यह चीज हो कि कम्यूनिस्ट पार्टी है और मार्क्सवादी पार्टी है इसलिए उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया जाय और क्यों नहीं दबोच दिया जाय। यह मैं मानता हूं कि उनके दिमाग में यह बात होगी लेकिन 10 दिन तक 8 दिन तक बाहर रहने दिया आपके संशोधन पर दो शब्द कहने के लिए यह भी बहुत बड़ी बात है लेकिन उसके बाद जो कुछ उनकी मंशा है····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वे अवश्य करेंगे। मैं साफ तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं ट्रेड यूनियनों के

(श्री मोहरसिंह)

फील्ड पर, अखबारों पर और सदन में एक नंगी तलवार लटका रखी है। जो कुछ इन पर वार किया गया है उससे जनता से पूछा जा सकता है कि क्या हालत हो रही है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें एमरजेन्सी में नहीं आती हैं···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं साफ तौर से यह बयान करना चाहता हूं ऐसा भयानक और डरावना वातावरण ट्रेड यूनियन्स पर हो रहा है। उन पर आज कई प्रकार के हमले हो रहे हैं। साफ तौर से सी. एम. साहब से निवेदन करना चाहता हूं अच्छा होता यदि हम 45 दिन के इस वातावरण को आज रिव्यू करते। लेकिन जिस प्रकार मैं दुःखी हूं इसी तरह सारा सदन आज लंगड़े रूप में यहां बैठा है···

(व्यवधान : अश्रव्य)

आपकी (श्री दीपंकर) तो मैंने सुन ली है। आपके लिए तो मैं और बताऊंगा कि किस प्रकार का धन्धा बना रखा है। अभी तो आपको दो घंटे के लिए छूट दे दी है। तो अध्यक्ष महोदय, सी. पी. एम. के दफ्तरों पर से झन्डे उतार दिये और उनको फाड़ दिये गये और पिस्तोलों का भय दिखाकर एन. बी. सी. पर किस प्रकार हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है या तो जबर्दस्ती फार्म भरो सीट से या···

श्री अध्यक्ष : कृपया सम्बन्धित विषय पर ही बोलेंगे।

श्री मोहर सिंह : आपके पास और कोई साधन ही नहीं बचा है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : एन. बी. सी. में तो आप ही डन्डे बरसाते हो····

(दोनों माननीय सदस्यों के साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मोहर सिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ आप एन्क्वायरी कमेटी बैठायें। जो एम.एल.ए. कांग्रेस में हैं इनके अन्दर मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें हैं। आज एन. बी. सी. में और कोटा वगैरह में यह हालत है तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किया जाना और जुडीशरी से अलग स्कोप कर देना देश की हालत क्या होगी आप माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से सोच सकते हैं और जान सकते हैं। इस सदन के समझदार माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं इसलिए मैं साफ तौर से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अधिकारों को दिये जाने से जनता के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तानाशाही का और एक व्यक्ति की तानाशाही देश में बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की असामयिक चीजों को बल मिलता है। यह चीजें शक को पैदा करने वाली हैं। यह सब कुछ इसलिए लाये हैं कि इसे चलते रहने दिया जाये और इनको ही प्रधान मंत्री रखा जाये। तो अध्यक्ष महोदय, इन सारे शब्दों के साथ में आपकी मार्फत सी. एम. साहब को कह देना चाहता हूं कि पिछले 45 दिनों में जो जो नियामतें हुई हैं और जो जो

(श्री मोहरसिंह)

आराम मिले हैं और दूसरी पार्टियों के साथ अंधाधुंध गिरफ्तारियां और उनके दफ्तरों को सील किया गया है इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब न्यायपूर्वक हृदय से इसकी जांच जरूर करवायेंगे और मुझे अगर दोषी पाया जाये कि ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहे हों तो मुझे चाहें जो सजा दें। चाहे मेरे हाथों में तेल डाल कर जलवा दिया जाये और अगर जुल्म हो रहे हैं तो इनको चीफ मिनिस्टर साहब को तुरन्त बन्द करना चाहिए। फिर हमारे पास ऐसी कौन सी एजेन्सी है जिसको कि दर्द का बयान किया जाये। एक विधान सभा थी जहां हमें भी लंगड़ा बना दिया गया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से आपकी मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब को कह देना चाहता हूं कि इन्हीं सारी चीजों को देखकर मैं अनुभव से कह रहा हूं कि इस प्रकार के जो कान्स्टीट्यूशन के अन्दर जो रोजाना अमेन्डमेंट एक मन्शा को लेकर किये जा रहे हैं यह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी और तानाशाही की तरफ देश को ले जाने वाले कदम हैं। इसलिए मैं खास तौर से इस अमेंडमेन्ट का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मतदान के लिए रख दूं?

(विराम)

कोई बोलना चाहता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान के अन्दर संशोधन प्रस्तुत किया गया है और उसके साथ ही साथ शिड्यूल 9 के अन्दर आइटम्स एड किये हैं मैं इनका स्वागत करता हूं और विशेषकर इसलिए कि आवश्यकता तो इस बात की है कि विधान के अन्दर संशोधन के लिए और उसमें एड करने के लिए और भी चीजें बाकी हैं। जिस विधान के अन्दर राइट आफ वर्क को पूरी इम्पारटेन्स न देकर फण्डामेन्टल राइट केवल प्रापर्टी के हैं उस विधान के अन्दर और भी संशोधन आगे और आने चाहिए।

सबसे बड़ी बात तो मैं यह मानता हूं कि यह इतनी जिम्मेदारी के पद हैं प्रधान मंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है और उप-राष्ट्रपति का पद है आप एक मनुष्य को या एक बेंच को यह अधिकार कैसे दे देंगे जो कि बाकायदा इलेक्टेड बाडी भी नहीं है, नामीनेटेड बाडी होती है, जिसको कि देश की 55 करोड़ जनता चुने और उसको एक बैंच हटा दे। और यह संशोधन किया गया तो उन देशों की तरफ आप गौर कीजिए जहां सारे के सारे जज स्पेशलाइज्ड नहीं होते। आपने तो अध्यक्ष महोदय, बहुत दूर तक दौरा किया है और इस सदन के माननीय सदस्य भी यूरोप गये हैं। कहीं भी यह परम्परा नहीं है कि वहां पर सारे के सारे स्पेशलाइज्ड जज हों और वह स्पेशलाइज्ड जज फैसला करते हों। बल्कि दो नामीनेटेड जज होते हैं वहां की सीनेट के द्वारा, वहां की चुनी हुई बाडीज के द्वारा और एक स्पेशलाइज्ड जज होता है। देश के इन चार पदों के लिए इस प्रकार का संशोधन लाया गया है यह सदन उसका स्वागत करता है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से शिड्यूल के अन्दर ऐसे एक्ट्स भी थे महाराष्ट्र के एक्ट भी शामिल कर लिये गये और राजस्थान के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक्ट भी इसमें शामिल किये जाने चाहिए। जिस तरह से लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट जो कि राजाओं की प्रापर्टी के सम्बन्ध में था और इसी सम्बन्ध में हमने कहा था कि फौरन से फौरन राजाओं की जितनी लैण्ड है उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। उस एक्ट को भी शिड्यूल के अन्दर तुरन्त शामिल किया जाना चाहिए। इस शिड्यूल के अन्दर जो एक्टस् हम देखते हैं और जो हमारी परम्परायें रही हैं वह परम्परायें यह सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है। आखिर नेशनेलाइजेशन आफ कोल माइन्स हुआ, राजाओं के अधिकार छीने गये, नेशनेलाइजेशन आफ फारेस्ट्स हुआ। जितने भी नेशनेलाइजेशन हुए पूंजीपतियों को, देश के इजारेदारों को यह अधिकार वैधानिक है कि वह नेशनेलाइजेशन की परम्पराओं को उसकी कड़ियों को तोड़ दें, वह हाईकोर्ट में स्टे प्राप्त कर लें, वह सुप्रीम कोर्ट के अन्दर स्टे प्राप्त कर लें और देश को आगे बढ़ने से रोक दें। इसलिए इस प्रकार के सारे संशोधन जो श्रम के महत्व के हैं और जो इस परम्परा को कायम करते हों उसमें एक के बाद अनेक संशोधन लाकर मजबूती से काम करना चाहिए वह नहीं किया। माननीय विरोधी पक्ष से आने वाले साथी कह रहे थे मुझे खेद है कि उनके पैर को कोई चोट आ गयी और वह बड़े कष्ट के अन्दर यहां पधारे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सारा देश एक होता जा रहा है वह फासिस्ट वाद देश के अन्दर पनपा रहे थे और जो ऐसा करेगा उसकी लात तोड़ दी जायेगी, लात को रहने नहीं दिया जायेगा।...

श्री मोहर्रसिंह : फासिस्ट तो आप हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस तरह से आपका कन्सेप्ट है और जिस तरह से मार्क्स-वादी संस्थाओं का कन्सेप्ट है...

श्री मोहर्रसिंह : हम [×××] नहीं करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो (×××) और (×××) करते हो।

श्री मोहर्रसिंह : अपनी हिम्मत से बोलते हैं और किसी के बल पर नहीं बोलते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी हिम्मत हमने परखी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको हिम्मत कहां से मिली ? माओत्सेतुंग से ?

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : इस प्रश्न को लेकर आपकी पार्टी में मतभेद खड़े हो गये हैं।

श्री मोहर्रसिंह : कतई नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सामने आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कुछ सुनने की भी शक्ति बढ़ा लीजिए।

×××ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

Page No.9

श्री मोहरसिंह : सुनने की शक्ति तो है लेकिन जवाब तो देना ही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इनकी पार्टी की परम्परा ही नहीं रही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुनने की शक्ति होती तो यह मजदूरों के संगठन उचित रूप से बनाते न कि डंडे और लाठी के जोर से अपनी पार्टी को पनपाते हैं....

श्री मोहरसिंह : आप बहुत इन्सानियत तरीके अपना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर जगह आपका मुकाबला किया है और आज आप आर. एस. एस. का पतीला मांजते हैं।

श्री मोहरसिंह : हम कतई नहीं करते हैं। अपने तरीके से हम चलते हैं और बोलते हैं। हमने जे. पी. को समर्थन दिया है तो भ्रष्टाचार के मामले में, चुनावों के तरीकों में फर्क के मामले में और रोजगार के प्रश्न के ऊपर हमने उनको समर्थन दिया है। लेकिन हमने इस प्रकार से (XXX) नहीं की।

श्री हरिदेव जोशी : (श्री मोहरसिंह एवं हांडा के एक साथ बोलने पर) अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है कि माननीय सदस्य हर बात के ऊपर बोलें। यह पालियामेन्टरी सिस्टम नहीं है।

श्री मोहरसिंह : डाइरेक्ट अटेक करते हैं उसका जवाब देना होता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से..

श्री मोहरसिंह : फिर मुझ को भी दो मिनट का जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलें। व्यक्तिगत बात आपके लिये कही है तो आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर खड़े हो सकते हैं लेकिन बीच में दखल देना परम्परा के खिलाफ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से सुना, मेरे बुजुर्ग हैं, इनके साथ जेल काटी है, साथ संघर्ष किया है। बहुत समय तक हम साथ रहे थे। यह बात दूसरी है कि सन् 62 में जब ये कहने लगे कि चीन ने देश पर हमला नहीं किया और इनके देशद्रोहियों के साथ रहने के कारण हमने इनका साथ छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे इनके रास्ते जुदा हो गए....

श्री अध्यक्ष : आप भी पर्सनल as persion अवोइड करिये। You come to the main point.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो केवल यही कहना चाहता था कि डेमोक्रेसी का वही कंसेप्ट अगर आप हम रखें कि आज इजारेदारों की सम्पत्ति, पर्सनल प्रोपर्टी को डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करेगी तो यह कंसेप्ट जीवित रहने वाला नहीं है। आज देश के अन्दर बढ़ते हुए फासिस्टवाद के इस कंसेप्ट को समाप्त करना होगा। अगर किसी बात को प्रोटेक्ट

XXX ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करना है तो वह है सम्पूर्ण श्रम की महत्ता सोवरनिटि, बुद्धिमता, इण्टलेक्चुअल, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी और उस सिस्टम की रक्षा करनी पड़ेगी जो एक्सप्लायटेशन को समाप्त करता है। मनुष्य से मनुष्य के शोषण को समाप्त करना है। इस प्रकार के विचारों को समझना पड़ेगा।

इस थोड़े से समय में हमको, अध्यक्ष महोदय, काफी शिक्षा मिली है। आज बौखलाया हुआ साम्राज्यवाद किस तरह से अपने देश में पैर फैला रहा है। आज बौखलाया हुआ साम्राज्यवाद जो कुछ है यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ पाकिस्तान के अन्दर तोपों का मुंह हमारे भारतवर्ष की ओर हो जाय। कराची के पास बन्दरगाह बन जाय, डीयोगार्सिया टापू में अमेरिकन अड्डा बन जाय और दूसरी तरफ देश के भीतर गुजरात, बिहार और बंगाल की घटनायें एक साथ हो जायं लूटमार हो जायं। विधायकों से ठोक ठोक कर स्तीफा लिया जावे। देश के अन्दर ये घटनायें एक साथ हों तो अध्यक्ष महोदय, वह दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये अकारण नहीं है बल्कि इनका पूरा तालमेल है और जब साम्राज्यवादी बौखला गए तो देश की पचपन करोड़ जनता, जो समाजवाद की तरफ बढ़ रही थी, इस ओर जो कदम बढ़ रहे थे तो उसने देश के अन्दर अपने फासिस्टवादी केंद्र बना कर इस देश के प्रजातन्त्र को भंग करना चाहा। इस देश की सार्वभौमिकता को भंग करना चाहा, इस धर्म निरपेक्ष राज्य को समाप्त करना चाहा। हमारी आजादी को, हमारी स्वतन्त्रता को समाप्त करना चाहा। और, अध्यक्ष महोदय, यह तो एक अमेंडमेंट आया है और इसी में बौखला गए मेरे साथी। मैं समझता हूं कि अभी तो कांस्टीट्यूशन में और भी बहुत से अमेंडमेंट आने है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : His will be the last speech.

अगर और कोई बोलना चाहें तो बोल लें।

(कोई बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रों के इतिहास के अन्दर कुछ मौके आया करते हैं जब उस राष्ट्र के नेतृत्व को और राष्ट्र के सेवकों को कुछ निर्णायक निर्णय लेने होते हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि भारत की संसद ने यह निर्णय जो लिया संविधान के संशोधन का वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय में हिन्दुस्तान को अप्रतिष्ठित होने से बचाने की कोशिश की है। इस देश के अन्दर और देश के बाहर कुछ लोग हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हों या प्रधान मंत्री कोई और हो किन्तु प्रधान मंत्री इस देश की जनता की प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और

(श्री हरिदेव जोशी)

भारतीय संसद यदि प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होते देखती रहती है तो वह संसद प्रतिनिधि संस्था न रह कर केवल दर्शक मात्र रह जायेगी, यह हम कह सकते हैं। और इसलिये भारत की संसद ने इस संशोधन को स्वीकार करके इस देश की स्थिति के अन्दर एक निर्णायक मोड दिया है यह हमें स्वीकार करना चाहिये।

27 वर्ष के अनुभव ने हम लोगों को कई नसीहतें दी हैं। संविधान एक बहुत ही उच्च वस्तु है किन्तु संविधान आखिर है क्या इसको समझने की आवश्यकता है। यह संविधान किस के लिये है। इस संविधान की गरिमा किस के वास्ते है। यह संविधान यदि राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा न कर सके, यदि यह संविधान देश के साधारण आदमी में विश्वास पैदा न करे, यदि यह संविधान देश के उत्थान के अन्दर उपयोगी इंस्ट्रूमेंट के रूप में साबित न हो सके तब यह संविधान कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को, देश के कुछ अमुक लोगों के हितों की रक्षा करने वाला आधार रह जाता है और इस संविधान के रहते हुए देश की प्रतिष्ठा और गिरती जाय तो इसको समझना चाहिए। आज जिस संविधान संशोधन के ऊपर ऐतराज किया जा रहा है, मेरे मित्र शायद यह नहीं जानते कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसी है उनमें यह परिपाटी चली आ रही है और हिन्दुस्तान के कामन आदमी को यह बात समझने की आवश्यकता है कि इस देश के अन्दर सुप्रीम कौन है। सुप्रीम जनता है या सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है। Supreme Court is a creation of the supreme body. It must bow down to the Supreme body. अगर सुप्रीम-कोर्ट जनता को सुप्रीम अथोरिटी नहीं मानती है और जो कि जनता की भावनाओं के विपरीत जाती है तो उसमें संशोधन किया जाना चाहिए इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। अगर अदालतें चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों वे कभी देश की मैन-स्टीम के विपरीत जाती हैं तो उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। 27 वर्ष के अनुभव अगर हमको यह भी नहीं सिखा पाते हैं तो कब सीख पायेंगे हम इस चीज को। हम किस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? किन के लिए काम कर रहे हैं? देश के साधारण आदमी के लिए।

अभी एक मित्र ने कहा था—यह देश अजीब प्रकार की झंझावात में चल रहा है। डीयोगार्सिया के अन्दर अमेरिकी अड्डे बन रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिकन हथियार दिये जा रहे हैं। संसार के कुछ राष्ट्र मिल कर इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उस समय अगर इस देश की कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट अगर देश के नेतृत्व के नाम को खराब करना चाहते हैं तो नहीं करने दिया जाएगा और उस स्थिति में नहीं करने दिया जाएगा जब कि सारा काम कांस्टीट्यूशनल मेथड से किया जा रहा है।

जो मेरे हक में होवे वह संशोधन होवे। यह तो जनता का संशोधन है और कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के खिलाफ कोई संशोधन हो तो प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है।

Page No.12

(श्री हरिदेव जोशी)

जब भूमि सुधारों के लिए संशोधन होवे तो हमारे फण्डामेंटल राइट्स के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट किया जा रहा है, किस के फण्डामेंटल राइट्स ? यह फण्डामेन्टल राइट्स किस को कितना लुकमा दे रहे हैं ? आज कितने लोगों के पेट भर रहे हैं । आज किन लोगों के लिए काम आ रहे हैं ? आज फण्डामेन्टल राइट्स का नारा वे लोग लगाते हैं जो उसके गार्ब के अन्दर अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं ।

आज अगर सही बात कही जाये तो समझ लीजिये कि फण्डामेन्टल राइट्स गरीब आदमी को क्रश करने के सिवाय दूसरे किसी काम में आज नहीं आ रहे हैं । साधारण आदमी जिसको दो जून रोटी नहीं मिल पा रही है, रोटी मिलने का मेरा फण्डामेन्टल राइट है, यह कह कर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यह तो राइट उसको दिया ही नहीं है । इसलिए फण्डामेन्टल राइट्स की ठीक ढंग से व्याख्या करनी होगी । फण्डामेन्ट राइट्स गलत ढंग से अर्जित की हुई पूंजी के ऊपर सरकार नियन्त्रण न करे अथवा धरती के ऊपर पैदा हुआ है, मुझे दो जून रोटी मिलनी चाहिये, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना चाहिये, सिर पर छप्पर हो, यह हो या न हो इसके लिए वेट करना होगा और इस देश की कोर्ट्स जब तक इस दृष्टि से हमारे कानून की व्याख्या नहीं करती है, तब तक इन सारे कानूनों को जिस लाजिकल कान्क्लूजन को वदलने आना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, दो राय नहीं है । और भारत की संसद अगर इस रूप में परिवर्तन नहीं करती है तथा समय के साथ कदम नहीं बढ़ाती है तो यह समझा जायेगा कि हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं । आज हम यह मान कर चलते हैं कि कान्स्टीट्यूशन में यह परिवर्तन, संशोधन अन्तिम नहीं है । जाग्रत, प्रबुद्ध लोगों के अन्दर चेतना होती है । जीवित जातियां इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहती हैं । यह भारतीय समाज एक जीवित समाज है, उसमें आज एक नये प्रकार की शुरू आत की गयी है श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा । और इस संशोधन के अन्दर हम यही आशा करते हैं । भारत के संविधान के अन्दर लाजिकल कन्क्लूजन पहुंचने तक निरन्तर संशोधन करना है और भारतीय समाज यह महसूस करे कि एक नया युग आया है जिसमें आशा की कोई किरण दिखाई दे रही है । इस संशोधन का तात्पर्य किसी को या किसी अदालत के हाथ-पांव बांधने का नहीं है । इस संशोधन का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है । इस संशोधन का तात्पर्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्रतिमा की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करना है । जिसको कुछ लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं । उसको धूमिल होने देने का कोई कारण नहीं है । हम अपनी शक्ति भर कहना चाहते हैं कि यह आपका अधिकार था । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारा अधिकार है । जनता ने यह अधिकार हमको दिया है बहुमत देकर अगर हम अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं और इसलिए यह जो संशोधन किया गया है इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव रखा है उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वानुमति से सदस्य इसे स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प मुख्य सचेतक ने संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में पेश किया है, वह स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता ।

संकल्प स्वीकार किया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : सर्वानुमति से ?

श्री अध्यक्ष : स्वीकार किया गया ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पूर्व 11 बज कर 45 मिनिट पर अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की गयी ।)

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	फोलियो वाली पंक्ति में—	सप्तम	नवम्
2.	1	ऊपर से 5	घोषणा	--
3.	4	नीचे से 6	था।	था
4.	6	नीचे से 16	यचिका	याचिका
5.	7	नीचे से 4	मंत्री को	मंत्री को जनता का
6.	7	नीचे से 3	विश्वास है	विश्वास है और
7.	7	नीचे से 3	जनता को	--
8.	9	नीचे से 10	नही है	नहीं है।
9.	10	ऊपर से 11	आतंक में	आतंक
10.	10	ऊपर से 19	उसको	उनको
11.	10	नीचे से 13	कम्यूनिस्ट	कम्युनिस्ट
12.	10	नीचे से 8	10 दिन तक	8-10 दिन तक
13.	10	नीचे से 8	दिन तक	—
14.	21	ऊपर से 15	गरिमा	गरिमा
15.	24	नीचे से 18	तात्ययं	तात्पर्य
16.	25	ऊपर से 4	जावे।	जावे?